



SURATGARH PUBLIC SCHOOL

AN ENGLISH MEDIUM DAY CUM BOARDING

SENIOR SECONDARY SCHOOL AFFILIATED TO CBSE

ADDRESS: ANOOPGARH ROAD, AMARPURA JATAN, SURATGARH-335804 (RAJ)

CONTACT: 93144-02200, 93149-02200

ADMISSION DOCUMENTS CHECKLIST

STUDENT DOCUMENTS

1. 2 PHOTOS
2. AADHAR CARD COPY
3. BIRTH CERTIFICATE COPY
4. TC OF PREVIOUS SCHOOL (ORIGINAL) (In case a student is from **non cbse school** TC should be counter signed by the Block Level Education Officer of the previous school location.)
5. REPORT CARD COPY OF PREVIOUS CLASS. (**Kindly attach report card of previous 2 years if child is taking admission in Class 3 & above**)
6. UDISE number of previous school along with student (PEN) Permanent Education Number. (will be allotted by previous school from UDISE Portal)

FATHER, MOTHER & GUARDIAN DOCUMENTS (EACH)

1. 2 PHOTOS
2. AADHAR CARD COPY

Note: In case of incomplete documents or documents are not submitted within the given time application for child admission will be rejected. If any other documents are required Parents/Guardian will submit the required documents within the given time.

अभिभावक यह विशेष ध्यान रखें कि पूर्व विद्यालय से टीसी, रिपोर्ट कार्ड व अन्य कोई भी दस्तावेज़ लेते समय बच्चे का नाम, जन्म तिथि वह माता-पिता का नाम का सही मिलान अपने बच्चे व व्यक्तिगत सभी दस्तावेज़ों से कर लें जैसे की उनका मिलान बच्चे और माता-पिता के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मुख्य दस्तावेज़ के मुताबिक हो ताकि भविष्य में आपको कोई भी संशोधन के लिए पूर्व विद्यालय में ना जाना पड़े।

कक्षा 10 और 12 में छात्रों के सीधे प्रवेश की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों के संदर्भ में

1. प्रवेश का कारण ग्राउंड स्पष्ट रूप से दर्शाया हो।
2. प्रवेश की श्रेणी के सामने दर्शाए गए सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं। (CBSE द्वारा निर्धारित दिशा- निर्देश के अनुसार)
3. पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किए सभी दस्तावेज़ों की पूर्व विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया गया हो।
4. पूर्व विद्यालय (सीबीएसई विद्यालय) द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र को पूर्व विद्यालय द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया हो।
5. यदि ट्रांसफर सर्टिफिकेट सीबीएसई के बजाय अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किया गया है तो सम्बंधित बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।
6. पूर्व विद्यालय द्वारा जारी अंकतालिका में सभी विषयों में 33% प्रतिशत अंक से पास होना अनिवार्य है।
7. सीधे प्रवेश की स्थिति में यदि अभिभावक का गवर्नमेंट सर्विस की वजह से ट्रांसफर हुआ हो तो उस स्थिति में CBSE द्वारा निर्धारित शुल्क 1000 रुपये लगेगा तथा अन्य स्थिति में 5000 रुपये में देय होगा।